भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3166

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

दिल्ली गोल्फ क्लब की भूमि पट्टा दर का परिशोधन

†3166. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) द्वारा दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए भूमि दरों/पट्टे की दरों में वर्ष 2011 से संशोधन/वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि उक्त क्लब को 170 एकड़ कीमती भूमि पट्टे पर दी गई थी; और
(ख) वर्ष 2010 से अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अपनी तैनाती के दौरान दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता प्राप्त करने वाले सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ख) : दिल्ली गोल्फ क्लब की स्थापना 1930 के दशक के प्रारंभ में एक नगरपालिका कोर्स के रूप में की गई थी और पहले इसे लोधी गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता था। पूर्व में आबंटित भूमि का पट्टा समय-समय पर बढ़ाया गया है। दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए 179 एकड़ क्षेत्र का अंतिम पट्टा नवीनीकरण 19 जुलाई, 2012 को किया गया था। भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा संचालित भूमि दरें बाजार मूल्य से जुड़ी हुई हैं और क्लबों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए पट्टा दरों के निर्धारण का आधार हैं। दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए अद्यतन संशोधन दिनांक 01.01.2011 से किया गया था। दिल्ली गोल्फ क्लब अपने संगम ज्ञापन/संस्था के अंतर्नियम आदि के अनुसार अपने कामकाज का प्रबंधन करता है और उसी के तहत सदस्यता भी प्रदान करता है।

*****